

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नवान दलीप कोर बनाम रमेश कुमार भादि

करण संख्या 04 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

10
4/23

आज यह पत्रावली गदी / प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पेशी में ली गई। प्राची के द्वारा प्राथमिक पत्र में निवेदन किया कि प्राथमिक का प्रतिवादी से राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रकरण आज पेशी में लिया जाकर खारिज किया जावे।

प्राची व प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा प्रकरण में जारी अस्थायी निवेधाना दिनांक 23/01/23 निरस्त की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल पत्र हो।

दलीप कोर को पत्र देकर जज पत्रावली में नोटिस के द्वारा खारिज करवा रहे हैं।
Not Recd
दिनांक 10/04/23
(30)



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर